हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम,जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	22/10/25 पत्रावली पेशी के लिए। अधिवक्ता गण हाजिर नहीं। आदेश 032 R 2-3, 151 सीपीसी, 07 R 11 CPC, 022 R 4 [illegible] हुए। वर्ष से अधिक समय हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी अभि [illegible] न्यायालय में हाजिर नहीं आ रहे। न ही अन्य साक्ष्य पेश कि [illegible] लगता नहीं कि [illegible] पाने की काफी सम्भावना है। अतः न्यायालय का मत वादी एवं प्रतिवादीगण को कड़े शब्दों में अन्तिम चेतावनी। वादी एवं प्रतिवादीगण स्वयं व उनके तरफ से अधिवक्ताओं के हाजिर नहीं होने पर वाद पत्र आदेश 17 रूल 3 आदेश 9 रूल 3 सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शिफ्ट नम्बर से कम हो। विदित हो न्यायालय के हुक्म से।

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.12.15 16:29:12 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner